

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं०सं०-2/एल-141/2026-

/स्वा०, पटना, दिनांक / /2026

डा० आयशा रहमान, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जलालगढ़, पूर्णियाँ द्वारा द्वितीय संतान के प्रसव हेतु उपभोगित अवकाश अवधि दिनांक-20.10.2021 से 17.04.2022 तक कुल-180 (एक सौ अस्सी) दिन को वित्त विभागीय पत्रांक-9889, दिनांक-01.12.2015 के आलोक में मातृत्व अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विनोद कुमार पाठक)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-2/एल-141/2026-

1641(2)

पटना, दिनांक 18/7/2026

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पूर्णियाँ/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जलालगढ़, पूर्णियाँ/कोषागार पदाधिकारी, पूर्णियाँ/डा० आयशा रहमान, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जलालगढ़, पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Wfmmk 18/7/26
सरकार के उप सचिव।